संख्या– 69 /माध्यमिक /2002,

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव ,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र – 2
समुदाय केन्द्र ,प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनॉक 18 नवम्बर, 2002

विषयः– सनवाल प्रीपयरटी एण्ड नर्सरी स्कूल, नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण– पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सनवाल प्रीपयरटी एण्ड नर्सरी स्कूल ,नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनूसूचित जाति/ अनूसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरॉचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ,नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन ,देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरुप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित <u>प्रपत्र/पंजिकाओं</u> में रखा जायेगा।

9— उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2— प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि :—

(1) कक्षों ,शिक्षकों भूमि तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली गयी है।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्याः— 69 (1)/माध्यमिक/2002—तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।
2—मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ,कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3—जिला विद्यालय निरीक्षक,नैनीताल।
4—प्रबन्धक,सनवाल प्रीपयरटी एण्ड नर्सरी स्कूल ,नैनीताल।
5—अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।